# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 165–2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020 (KARTIKA 13, 1942 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 4 नवम्बर, 2020

**दुध उपकर पर देय राशि के लिए वन टाईम सेटलमैंट स्कीम**

**क्रमांक 5218(CFMS)–प०पा०–4–2020/7391.–** राज्य सरकार द्वारा केविड–19 के हालात को ध्यान में रखते हुयें वन टाईम सेटलमेंट स्कीम जो क्रमांक 4719(CFMS)–प०पा०–4–2019/9114, दिनांक 10.09.2019 द्वारा जारी की गई थी की प्रविष्टि की अवधि को दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तथा 31 दिसम्बर, 2020 तक बढाने का निर्णय लिया है।

सभी सम्बन्धित तथ्यों पर सावधानी पूर्वक विचार करने उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 50 प्रतिशत राशि बढाई गई अवधि दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक जमा करवानी होगी तथा बकाया 50 प्रतिशत राशि 31 दिसम्बर, 2020 तक जमा करवाई जानी होगी।

इसके उपरान्त स्कीम के विस्तार हेतु किसी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा वन टाईम सेटलमेंट स्कीम के बाकी नियम और शर्ते क्रमांक 4719(CFMS)– प०पा०–4–2019/9114, दिनांक 10.09.2019 के अनुसार होंगे।

डॉ० राजा सेखर वूंदरू,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 नवम्बर, 2020.